

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 369

प्रकरण क्रमांक-SM-EXP-2024-02504

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "गोकुलधाम प्रोजेक्ट", प्रमोटर-सतगुरु इंटरप्राइजेस, द्वारा-
श्री राजेश देवनानी, पता-न्यू बस स्टैण्ड के समीप, कांकेर सिटी सेंटर, मेन रोड,
जिला-कांकेर (छ.ग)

प्रोजेक्ट-" गोकुलधाम प्रोजेक्ट" पता-देवरी रोड, जिला-कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
30/08/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "गोकुलधाम प्रोजेक्ट" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA100718000514 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 10.07.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.03.2024 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 31.07.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये दिनांक 21.03.2024 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा रेरा अधिनियम, 2016 का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का सक्षम प्राधिकारी से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शीघ्र ही प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 369

प्रकरण क्रमांक-SM-EXP-2024-02504

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "गोकुलधाम प्रोजेक्ट", प्रमोटर-सतगुरु इंटरप्राइजेस, द्वारा-
श्री राजेश देवनानी, पता-न्यू बस स्टैण्ड के समीप, कांकेर सिटी सेंटर, मेन रोड,
जिला-कांकेर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" गोकुलधाम प्रोजेक्ट" पता-देवरी रोड, जिला-कांकेर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	